बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिहार दिवस, 2025 के अवसर पर पटना के गाँधी मैदान में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, पटना की ओर से **"उन्नत बिहार विकसित बिहार"** थीम पर प्रदर्शनी के आयोजन हेतु ख्याति प्राप्त फर्म/संस्था/प्रतिष्ठान से दिनाक–27.2.25 को 3:00 बजे अपराह्न तक निम्न शर्तों के साथ कोटेशन आमत्रित किये जाते है।

कोटेशन देने की शर्त्तः–

1. प्रदर्शनी होने तक प्रदर्शनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबधित फर्म/संस्था/प्रतिष्ठान की होगी, अतएव प्रदर्शनी की अवधि में किसी टूट–फूट, कमी अथवा प्रदर्शनी में किसी वजह से विफलता की स्थिति में नियमानुसार समानुपातिक कटौती की जाएगी।
2. प्रदर्शनी के उपरांत साल्वेज संबंधित फर्म/संस्था/प्रतिष्ठान का होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखकर समेकित एक दर साफ–साफ कोटेशन में अंकित किया जायेगा।
3. 60फीटX40फीट आकार के आवंटित स्थान पर संस्थापित पंडाल के भीतर आकर्षक प्रदर्शनी का निर्माण विभागीय नोडल पदाधिकारी की देख–रेख में करना होगा।
4. उक्त पंडाल से सटे 10फीटX10फीट आकार का किताब आदि बिक्री हेतु एक (पैगोडा) सदृश छोटे स्टॉल की व्यवस्था करनी होगी। उक्त पंडाल में ही 10फीटX10फीट आकार के एक कॉमन रुम में सोफा सेट, सेन्टर टेबुल, वी.आई.पी., कुर्सियों, पर्दा, डेजर्ट कूलर आदि का प्रबंध नोडल पदाधिकारी की देख–रेख में करना होगा।
5. प्रदर्शनी पंडाल का फ्रंट फेसिया आकर्षक रूप से विभाग की सहमति से विभागीय नोडल पदाधिकारी की देख–रेख में निर्मित करना होगा।
6. प्रदर्शनी हेतु वांछित संख्या में प्रदर्शनी पैनल विभागीय भण्डार से प्राप्त करने होंगे एवं उन्हें कार्योपरांत सुरक्षित विभागीय भण्डार में वापस करना होगा। पैनल बोर्ड ले जाने एवं वापस सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
7. विभाग से प्राप्त प्रदर्शनी पैनल पर जल–जीवन–हरियाली, समाज सुधार अभियान, शैक्षणिक विकास तथा ईको टूरिज्म आदि से संबंधित लगभग 60 डिजाइनों का संस्थापन सन बोर्ड पर विनाइल प्रिंटिंग कर पेस्टिंग करना होगा।
8. सम्पूर्ण प्रदर्शनी पण्डाल तथा पैगोडा में लाईट, फैन, जेनेरेटर, कुर्सी, क्लॉथ वॉलिंग, कारपेट, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन आदि सभी कार्य विभागीय नोडल पदाधिकारी की देख–रेख में करने होंगे।
9. विभागीय योजनाओं के सतत प्रचार/प्रदर्शन हेतु 12'X8' के एक LED वाल (गुणवत्तापूर्ण ध्वनि सहित) का संस्थापन भी प्रदर्शनी के सम्मुख करना होगा।
10. एतद्संबंधी कोई अग्रिम अनुमान्य नहीं होगा।
11. फर्म/प्रेस को जी0एस0टी0 (वाणिज्यकर विभाग) से निबंधित होना चाहिए एवं निविदा के साथ एतद्सम्बंधी कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. फर्म/प्रेस को किसी भी सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम, निकाय, समिति द्वारा काली सूची में दर्ज नही होने एवं किसी भी तरह के केस–मुकदमे में लिप्त/लंबित न होने से संबंधित स्व–घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
13. पैन कार्ड की छायाप्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं संख्यांकित होने चाहिए।
14. कोटेशन में सम्पूर्ण कार्य की दर (सभी कर एवं खर्च सहित) स्पष्ट रुप से अंकित होनी चाहिए। कुल लागत के मूल्य पर न्यूनतम दर निर्धारित कर फर्म/प्रेस का चयन किया जायगा।
15. विभाग द्वारा अन्य कोई आदेशित कार्य भी एजेन्सी को करना होगा, जिसका भुगतान समानुपातिक रूप से किया जायेगा।
16. उपर्युक्त सभी शर्तों एवं उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी एक भी शर्त/उपबंध को किसी समय पूरा नहीं करने की स्थिति में उक्त कोटेशन को रद्द करते हुए संबंधित फर्म/प्रेस के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।
17. कोटेशन को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
18. प्रदर्शनी के उपरांत इससे संबंधित फोटोग्राफ्स/सी0डी0 एवं प्रदर्शनी संबंधी प्रमाण पत्र जो सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित हो, समर्पित करना होगा।
19. विस्तृत जानकारी विभागीय नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

11/12/2025

(कुमारिल सत्यनन्दन)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।